



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1; खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 26 अप्रैल, 1982
वैशाख 6, 1904 शकसम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1299/सबह-वि०-1-120-1981
लखनऊ, 26 अप्रैल, 1982

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 20 अप्रैल, 1982 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1982
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1982)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा

जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

संक्षिप्त नाम
विस्तार और
प्रारम्भ

अधिनियम
संख्या 2 सन्
1899 की अनु-
सूची 1-बी के
अनुच्छेद 1 का
संशोधन

अनुच्छेद 2 का
संशोधन

अनुच्छेद 3 का
संशोधन

अनुच्छेद 4 का
संशोधन

अनुच्छेद 5 का
संशोधन

अनुच्छेद 6 का
संशोधन

2—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-बी में, जिसे आगे उक्त अनुसूची में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

“पचास पैसे” ।

3—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 2 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

“दो सौ रुपये से अधिक न होते हुए वही शुल्क जो किसी बन्ध पत्र (संख्या 15) पर लिखा है” ।

4—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 3 में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द “पचास रुपये” के स्थान पर शब्द “पचहत्तर रुपये” रख दिये जायेंगे ।

5—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 4 में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द “चार रुपये पचास पैसे” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” रख दिये जायेंगे ।

6—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 5 में, खण्ड (सी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द “पांच रुपये” के स्थान पर शब्द “छः रुपये” रख दिये जायेंगे ।

7—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 6 में, खण्ड (2) में, उपखण्ड (ए) में, नीचे स्तम्भ में, दिये गये अंकों के स्थान पर स्तम्भ दो में दिये गये अंक रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

स्तम्भ 1

₹0 पै०
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
12.50
25.00
37.50
50.00
75.00
100.00
125.00
150.00
50.00

स्तम्भ 2

₹0 पै०
1.50
3.00
4.50
6.00
7.50
9.00
12.00
18.75
37.50
56.25
75.00
112.50
150.00
187.50
225.00
75.00

अनुच्छेद 7 का
संशोधन

8—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 7 में,—

(क) खण्ड (ए) में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

“पचास रुपये” ;

(ख) खण्ड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

“एक सौ रुपये” ।

अनुच्छेद 10 का
संशोधन

9—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 10 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

“तीन सौ रुपये” ।

अनुच्छेद 11 का
संशोधन

10—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 11 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

“चार सौ रुपये” ।

अनुच्छेद 17 का
संशोधन

11—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 17 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

“पच्चीस रुपये” ।

- 12—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 19 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“पचास पैसे”
अनुच्छेद 19 का संशोधन
- 13—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 20 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“छः रुपये”
अनुच्छेद 20 का संशोधन
- 14—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 22 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“पचास रुपये”
अनुच्छेद 22 का संशोधन
- 15—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 26 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“एक सौ पचास रुपये से अधिक न होते हुए वही शुल्क जो बन्ध-पत्र (संख्या 15) पर लागू है”
अनुच्छेद 26 का संशोधन
- 16—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 28 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“पचास पैसे”
अनुच्छेद 28 का संशोधन
- 17—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 29 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“पच्चीस रुपये”
अनुच्छेद 29 का संशोधन
- 18—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 34-ए में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द “पांच रुपये” के स्थान पर शब्द “छः रुपये” रख दिये जायेंगे।
अनुच्छेद 34-ए का संशोधन
- 19—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 36 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“पचास पैसे”
अनुच्छेद 36 का संशोधन
- 20—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 39 में, दूसरे स्तम्भ में शब्द “एक सौ रुपये” के स्थान पर शब्द “दो सौ रुपये” और शब्द “तीन सौ पच्चीस रुपये” के स्थान पर शब्द “पांच सौ रुपये” रख दिये जायेंगे।
अनुच्छेद 39 का संशोधन
- 21—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 43 में, —
(क) खण्ड (ए) में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“एक रुपया”
(ख) खण्ड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“पचहत्तर रुपये से अधिक न होते हुए; प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के मूल्य के स्टॉक या प्रतिभूति के लिए एक रुपया”
अनुच्छेद 43 का संशोधन
- 22—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 44 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“तीन रुपये”
अनुच्छेद 44 का संशोधन
- 23—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 48 में, —
(क) खण्ड (क) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द “दो रुपये पचास पैसे” के स्थान पर शब्द “तीन रुपये” रख दिये जायेंगे ;
(ख) खण्ड (ख) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द “पांच रुपये” के स्थान पर शब्द “छः रुपये” रख दिये जायेंगे ;
(ग) खण्ड (ग) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द “बीस रुपये” के स्थान पर शब्द “चौबीस रुपये” रख दिये जायेंगे ;
(घ) खण्ड (घ) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द “चालीस रुपये” के स्थान पर शब्द “अड़तालिस रुपये” रख दिये जायेंगे ;
(ङ) खण्ड (च) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द “पांच रुपये” के स्थान पर शब्द “छः रुपये” रख दिये जायेंगे।
अनुच्छेद 48 का संशोधन

- अनुच्छेद 50
का संशोधन 24—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 50 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“पांच रुपये”
- अनुच्छेद 51
का संशोधन 25—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 51 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“पांच रुपये”
- अनुच्छेद 58
का संशोधन 26—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 58 में, मद “बी” में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“वही शुल्क जो सम्बद्ध सम्पत्ति की रकम या मूल्य के बराबर राशि के लिये बन्ध-माल (संख्या 15) पर लगता है, किन्तु पचास रुपये से अधिक नहीं” ।
- अनुच्छेद 60
का संशोधन 27—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 60 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“पचास पैसे”
- अनुच्छेद 62
का संशोधन 28—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 62 में, —
(क) खण्ड (सी) में, उप खण्ड (ii) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द “सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे” के स्थान पर शब्द “पचहत्तर रुपये” रख दिये जायेंगे ;
(ख) खण्ड (डी) में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“सड़सठ रुपए पच्चास पैसे” ;
(ग) खण्ड (ई) में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“चौतीस रुपये या ऐसी न्यूनतर रकम जैसी इस अनुच्छेद के खण्ड (बी) और (सी) के अधीन प्रभावी हो ।”
- अनुच्छेद 64
का संशोधन 29—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 64 में, भाग “ए” में, खण्ड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“दस हजार रुपये पर, खण्ड (ए) के अधीन देय शुल्क, और शेष पर, प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार रुपये या उसके भाग पर तीन रुपये”
- अनुच्छेद 65
का संशोधन 30—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 65 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—
“तीन रुपये”

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव ।

No. 1299(2)/XVII V-1—120-1981

Dated Lucknow April 26, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam San-khya 19 of 1982), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 20, 1982:

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1982
(U. P. ACT NO. 19 OF 1982)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Indian Stamp Act, 1899, in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :

Short title, extent
and commence-
ment.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1982.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by Notification, appoint in this behalf.

2. In Schedule I-B to the Indian Stamp Act, 1899, hereinafter referred to as the said Schedule, in Article 1, in the second column for the existing entry the following entry shall be substituted, namely:—

Amendment of Article 1 of Schedule I-B to Act no.2 of 1899.

“Fifty Paise.”

3. In the said Schedule, in Article 2, in the second column, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

Amendment of Article 2.

“Subject to a maximum of two hundred rupees, the same duty as on a Bond (No. 15).”

4. In the said Schedule, in Article 3, in the second column, for the words “Fifty rupees” the words “Seventy-five rupees” shall be substituted.

Amendment of Article 3.

5. In the said Schedule, in Article 4, in the second column, for the words, “Four rupees and fifty paise” the words “Five rupees” shall be substituted.

Amendment of Article 4.

6. In the said Schedule, in Article 5, in clause (c), in the second column, for the words “Five rupees” the words “Six rupees” shall be substituted.

Amendment of Article 5.

7. In the said Schedule, in Article 6, in clause (2), in sub-section (a), in the second column, for the figures set out in Column 1 below, the figures set out in Column 2 below, shall be substituted:—

Amendment of Article 6.

Column 1	Column 2
Rs. P.	Rs. P.
1.00	1.50
2.00	3.00
3.00	4.50
4.00	6.00
5.00	7.50
6.00	9.00
8.00	12.00
12.50	18.75
25.00	37.50
37.50	56.25
50.00	75.00
75.00	112.50
100.00	150.00
125.00	187.50
150.00	225.00
50.00	75.00

8. In the said Schedule, in Article 7:—

Amendment of Article 7.

(a) in clause (a), in the second column, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely:—

“Fifty rupees”.

(b) in clause (b), in the second column, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely:—

“One hundred rupees.”

9. In the said Schedule, in Article 10, in the second column, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely:—

Amendment of Article 10.

“Three hundred rupees.”

10. In the said Schedule, in Article 11, in the second column, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

Amendment of Article 11.

“Four hundred rupees.”

11. In the said Schedule, in Article 17, in the second column, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

Amendment of Article 17.

“Twenty-five rupees.”

12. In the said Schedule, in Article 19, in the second column, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely:—

Amendment of Article 19.

“Fifty paise”

- Amendment of Article 20. 13. In the said Schedule, in Article 20, in the second column, for the existing entry the following entry shall be *substituted*, namely:—
“Six rupees.”
- Amendment of Article 22. 14. In the said Schedule, in Article 22, in the second column, for the existing entry the following entry shall be *substituted*, namely:—
“Fifty rupees.”
- Amendment of Article 26. 15. In the said Schedule, in Article 26, in the second column, for the existing entry the following entry shall be *substituted*, namely:—
“Subject to a maximum of one hundred fifty rupees, the same duty as on a Bond (no. 15).”
- Amendment of Article 28. 16. In the said Schedule, in Article 28, in the second column, for the existing entry the following entry shall be *substituted*, namely:—
“Fifty paise.”
- Amendment of Article 29. 17. In the said Schedule, in Article 29, in the second column, for the existing entry the following entry shall be *substituted*, namely:—
“Twenty-five rupees.”
- Amendment of Article 34-A. 18. In the said Schedule, in Article 34-A, in the second column, for the words “Five rupees” the words “six rupees” shall be *substituted*.
- Amendment of Article 36. 19. In the said Schedule, in Article 36, in the second column, for the existing entry the following entry shall be *substituted*, namely:—
“Fifty paise.”
- Amendment of Article 39. 20. In the said Schedule, in Article 39, in the second column, for the words “one hundred rupees” the words “Two hundred rupees” shall be *substituted* and for the words “Three hundred and twenty-five rupees” the words “Five hundred rupees” shall be *substituted*.
- Amendment of Article 43. 21. In the said Schedule, in Article 43,—
(a) in clause (a), in the second column, for the existing entry, the following entry shall be *substituted*, namely :
“One rupee.”
(b) in clause (b), in the second column, for the existing entry, the following entry shall be *substituted*, namely:—
“Subject to a maximum of seventy-five rupees; one rupee for every Rs. 10,000 or part thereof of the value of the stock or security.”
- Amendment of Article 44. 22. In the said Schedule, in Article 44, in the second column, for the existing entry, the following entry shall be *substituted*, namely:—
“Three rupees.”
- Amendment of Article 48. 23. In the said Schedule, in Article 48, —
(a) in clause (a), in the second column, for the words “Two rupees and fifty paise” the words “Three rupees” shall be *substituted*;
(b) in clause (b), in the second column, for the words “Five rupees” the words “Six rupees” shall be *substituted*;
(c) in clause (c), in the second column, for the words “Twenty rupees” the words “Twenty-four rupees” shall be *substituted*;
(d) in clause (d), in the second column, for the words “Forty rupees” the words “Forty-eight rupees” shall be *substituted* ;
(e) in clause (f), in the second column, for the words “Five rupees” the words “Six rupees” shall be *substituted*.
- Amendment of Article 50. 24. In the said Schedule, in Article 50, in the second column, for the existing entry, the following entry shall be *substituted*, namely:—
“Five rupees.”

25. In the said Schedule, in Article 51, in the second column, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—
 "Five rupees." Amendment of Article 51.
26. In the said Schedule, in Article 58 in item B, in the second column, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—
 "The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned, but not exceeding fifty rupees." Amendment of Article 58.
27. In the said Schedule, in Article 60, in the second column, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—
 "Fifty paise." Amendment of Article 60.
28. In the said Schedule under Article 62:—
 (a) in clause (c), in sub-clause (ii), in the second column, for the words "Thirty-seven rupees and seventy-five paise" the words "Seventy-five rupees" shall be substituted ;
 (b) in clause (d), in the second column, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—
 "Sixty-seven rupees and fifty paise" ;
 (c) in clause (e), in the second column, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—
 "Thirty-four rupees or such smaller amount as may be chargeable under clauses (b) and (c) of this article." Amendment of Article 62.
29. In the said Schedule, in Article 64, in Part A, in clause (b), in the second column, for existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—
 "On ten thousand rupees, the duty payable under clause (a), and on the remainder, Three rupees for every additional one thousand rupees or part thereof." Amendment of Article 64.
30. In the said Schedule, in Article 65, in the second column, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—
 "Three rupees." Amendment of Article 65.

By order,
 G. B. SINGH,
 Sachiv.